शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक **ई–मेल द्वारा**

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद–औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच
बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट,
चन्दौली, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अमरोहा(जे0पी0नगर),
जालौन, झांसी, कौशाम्बी, लखीमपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर,
मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर,
शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती एवं उन्नाव।

पत्रांकः 14A/सामु0सह0/**एस0एफ0डी0/** 4387 2016–17 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

**विषय : वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता मद में स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट (SFD) के दो विकासखण्डों में नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत के आयोजन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता मद (0.05 Norms) के अन्तर्गत निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रचार–प्रसार एवं अधिनियम प्राविधान की पूर्ति हेतु 06–14 आयु के बालक/बालिकाओं को विद्यालय में आयुसंगत कक्षा में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव कराने के लिये सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत अनेक गतिविधियों के आयोजन हेतु भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

तत्क्रम में सम्बन्धित जनपद को दो विकासखण्डों का चयन करना है जिनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का नामांकन एवं ठहराव, कम उपस्थिति, अधिकतम ड्राप आउट प्रतिशत, बालिकाओं का कम नामांकन, ड्राप आउट बच्चों की संख्या का प्रतिशत अधिक है उनमें नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत का आयोजन किया जाना है। चयनित विकासखण्डों में निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रचार–प्रसार एवं नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत का आयोजन किया जाना है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 में सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत प्रदेश के 38 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट के चयनित 76 विकासखण्डों में नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत के आयोजन हेतु सामुदायिक सहभागिता मद (0.05 Norms) के अन्तर्गत गतिविधि हेतु धनराशि ₹228.00 लाख (रूपये दो करोड़



दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई–मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब–साइटः www.upefa.com

अट्ठाइस लाख मात्र) जनपदों को अवमुक्त की जा रही है, जिसका जनपदवार धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

| क्र. स. | जनपद | विकासखण्ड की संख्या | प्रति विकासखण्ड स्वीकृत (धनराशि ₹ लाख में) | जनपदों को कुल अवमुक्त (धनराशि ₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | औरैया | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 2 | आजमगढ़ | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | बागपत | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | बहराइच | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | बलरामपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 6 | बाराबंकी | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 7 | बरेली | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 8 | बिजनौर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 9 | बदांयू | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 10 | बुलन्दशहर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 11 | चन्दौली | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 12 | चित्रकूट | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 13 | फतेहपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 14 | गाजियाबाद | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 15 | हरदोई | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 16 | हाथरस | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 17 | जालौन | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 18 | झांसी | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 19 | जे0पी0 नगर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 20 | कौशाम्बी | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 21 | लखीमपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 22 | लखनऊ | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 23 | महोबा | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 24 | मेरठ | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 25 | मिर्जापुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 26 | मुरादाबाद | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 27 | मुजफ्फरनगर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 28 | पीलीभीत | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 29 | रायबरेली | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 30 | रामपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 31 | सहारनपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 32 | संतकबीरनगर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 33 | शाहजहांपुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 34 | श्रावस्ती | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 35 | सिद्धार्थनगर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 36 | सीतापुर | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 37 | सोनभद्र | 2 | 3.00 | 6.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | उन्नाव | 2 | 3.00 | 6.00 |
| | **कुल योग** | **76** | **114.00** | **228.00** |

**कार्यक्रम की रूपरेखा**

जनपद में विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों व समुदाय में स्थानीय स्तर पर प्रचलित लोक कलाओं जैसे नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत के माध्यम से समुदाय को उनके बच्चों हेतु शिक्षा के उपयोगिता एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना अपेक्षित है। गतिविधियों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें :—

1 सम्बन्धित जनपद द्वारा कार्यक्रम के संचालन हेतु 2 ऐसे विकासखण्डों का चयन किया जाये जहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का नामांकन एवं ठहराव, कम उपस्थिति, अधिकतम ड्राप आउट प्रतिशत, बालिकाओं का कम नामांकन और ड्राप आउट बच्चों की संख्या का प्रतिशत अधिक है।

2 चयनित विकासखण्डों में से ऐसे ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं का चयन किया जाये जिनमें अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में उपरोक्त क्रम संख्या—01 में वर्णित वर्ग के बच्चों का प्रतिशत ब्लाक में अधिक है।

3 नुक्कड़ नाटक एवं लोक गीत मंचन हेतु जनपद स्तर पर सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क करते हुये स्थानीय कलाकारों के माध्यम से कार्यक्रम तैयार करते हुये उनका मंचन किया जाये।

4 मंचन कार्यक्रम हेतु चयनित विकासखण्ड में यथासंभव सम्बन्धित विद्यालय, संकुल एवं बी0आर0सी0 स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्रम—1 में वर्णित विद्यालयों के बच्चे, अध्यापक, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य प्रतिभाग करें।

5 मंचन की तिथि निर्धारण में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों व अभिभावकों का सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाये जिससे कि मंचन के समय अधिक से अधिक संख्या में समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विद्यालय में उपस्थित रहें।

6 जनपद में प्रस्तावित नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत मंचन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का ग्राम पंचायत, संकुल एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रवार फोटो सहित विस्तृत डाक्यूमेंटेशन कराया जाये।

7 लोकगीत के लिये सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रति शो की दर ₹2870 एवं नुक्कड़ नाटक के लिये प्रति शो की दर ₹5600 जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अनुमोदित है।

8 उपरोक्त क्रम सं0—7 के सम्बन्ध में आपको आदेशित किया जाता है कि नुक्कड़ नाटक हेतु जनपद स्तर पर 01 कार्यशाला आयोजित किया जाये एवं कार्यशाला में ब्लाक स्तर के नाट्य कलाकार प्रशिक्षित किये जायें एवं उनको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अनुमोदित धनराशि ही प्रेषित की जाये। इसका उद्देश्य यह है कि मंचन हेतु जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर पर एकरूपता बनी रहे।

9 सम्बन्धित जनपद प्रति ब्लाक नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत के कम से कम 25 मंचन अवश्य कराये जायें।

10 सम्बन्धित जनपद द्वारा पूरे कार्यक्रम की आख्या दिनांक 15 फरवरी 2017 तक निम्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:—

**स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों की आख्या उपलब्ध करायी जाये (प्रारूप–1):–**

जनपद का नाम–

| क्र0 सं0 | मंचन हेतु कार्यशाला के आयोजन की तिथि | कार्यशाला में प्रशिक्षित नाट्य कलाकारों की संख्या | कुल प्राप्त धनराशि (₹ में) | कुल व्यय की गई धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**प्रारूप–2 :–**

विकासखण्ड का नाम–

| क्र0 सं0 | मंचन की तिथियां | मंचन का स्थान (विद्यालय/पंचायत भवन अथवा अन्य उपलब्ध स्थान) | मंचन के दौरान प्रतिभागियों की संख्या | कुल प्राप्त धनराशि (₹ में) | कुल व्यय की गई धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यक्रम का संचालन समय सारिणी के अनुसार कराते हुए अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय **सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट–2010** प्रावधानों के अनुरूप करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को 15 फरवरी, 2017 तक आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक– नुक्कड़ नाटक एवं गीत की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल के माध्यम से।**

भवदीय,

**(जी0एस0 प्रियदर्शी )**
**राज्य परियोजना निदेशक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, सम्बन्धित जनपद, उ0प्र0।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), सम्बन्धित मण्डल, उ0प्र0।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
4. जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), सर्व शिक्षा अभियान, सम्बन्धित जनपद।
5. सहायक वित एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सम्बन्धित जनपद।

19/12 '16

**(जी0एस0 प्रियदर्शी)**
**राज्य परियोजना निदेशक**